112

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1400-तीन/2011 - विरूद्ध आदेश दिनांक 16-6-2011 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 896/2009-10 अपील

संतोषकुमार खरे पुत्र लल्लूलाल खरे
निवासी मुख्त्यारगंज सतना,जिला सतना ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती शशि श्रीवास्तव पत्नि अशोक कुमार
निवासी मुख्त्यारगंज सतना,जिला सतना ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक आर0पी0द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 19-04-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 896/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-6-2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार रघुराजनगर को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड बसीयतनामे के आधार पर मौजा वरदाडीह स्थित भूमि सर्वे नंबर 200 रकबा 0.19 एकड़ के नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार रघुराजनगर ने प्रकरण क्रमांक 77 अ-6/2008-09 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकार को सुनकर आदेश दिनांक 30-5-2009 पारित किया एंव वरदाडीह स्थित भूमि सर्वे नंबर 200 रकबा 0.19 एकड़ पर आवेदक पर

टावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 146/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-6-2010 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर अयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 895/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-6-11 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार रघुराजनगर के समक्ष आवेदक व्दारा नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनांक 23-3-09 को प्रकरण पॅजीबद्ध किया गया है तथा इस्तहार जारी करने का निर्णय लिया है। आगामी पेशी 25-4-09 नियत की गई है किन्तु प्रकरण 11-5-09 को ले लिया गया एंव 11-5-09 के नीचे ही 25-4-09 लिख दी गई। इस तिथि को अनावेदकगण की तलबी हेतु प्रकरण 26-5-09 लगा दिया। तहसीलदार रघुराजनगर व्दारा प्रकरण में अपनाई गई उक्तानुसार प्रकिया दोषपूर्ण हैं । आगे की पेशी पर 26-5-09 को प्रकरण में आडरशीट इस प्रकार लिखी है :-

'' प्रकरण पेश/ आवेदक सह अधि. उप.। इस्तहार वाद तामील प्राप्त। आवेदक संतोष खरे तथा साक्षी अजीत श्रीवास्तव के कथन अंकित किये गये। प्रकरण अवलेकनार्थ - पेशी 28-5-09''

28-5-09 को प्रकरण नहीं लिया गया तथा अनावेदकगण की तलबी, उपस्थिति, अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई लेख नहीं । दिनांक 28-5-09 के वाद दिनांक 30-5-09 को अंतिम आदेश पारित करके आवेदक का नामान्तरण किया गया

है एंव अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने उक्त पर ध्यान न देते हुये अपील निरस्त की है, जबकि तहसीलदार रघुराजनगर व्दारा अपनाई गई प्रक्रिया नामान्तरण नियमों के विपरीत है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 896/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-6-2011 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। दोनों पक्षों को तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान पक्ष रखने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, के आदेश दिनांक 16-6-2011 मे हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 896/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-6-2011 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर